G.P.Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of ...उपखण्ड कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर... at .... CNR NUMBER ...2024/117...

Kind of the Case ...धारा 114...

Number of Case ...C/56/2021... Year ...2021...

...संतोष... Versus ...प्रशावन्त...

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण हस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश हो।	understand ... 29/8/24
29/08/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/08/24 को पेश हो। Prinkat उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
30/08/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि॰ प्रार्थी- " पूर्व में प्रा॰ पत्र under O7 R11 CPC स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किया गया, जिसमें न्यायालय से कानूनी भूल हुई है। Section 11 जो Res judicata से संबंधित है, वह केवल उन cases पर लागू होता है जो merit पर decide हुए हों, प्रार्थी का पूर्व वाद सहमति के आधार पर निस्तारित किया गया था अतः दावा पुनः restore किया जावे।" अधि॰ प्रार्थी द्वारा निम्न citations पेश किये गये हैं- 1. Keshav Sood v/s Kirti Pradeep: H' Supreme Court judgement - " the court can look into only the averments	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/117

Number of Case सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फोर्ट ...) जोधपुर C/56/ Year 2024

रतीक Versus रा.रा.9.स.

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	made in plaint. The defence of defendants can't be looked into while deciding such application". 2. Mathura Prasad V/s Dossibai: H' Supreme Court judgement - " Res-judicata not applicable when law is altered since earlier decision. The matter in issue be decided finally." 3. SriHari V/s Hemant Vithal: H' Supreme Court judgement - "No court shall try any suit in which the matter directly & substantially in issue in a former suit between the same parties which has been finally decided by court." मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी " प्रार्थी द्वारा review petition में जो आधार लिये गये हैं, उनके आधार पर review नहीं किया जा सकता|" अधि. अप्रार्थी द्वारा निम्नानुसार citations पेश किये गये हैं- 1. Murali Sundaram V/s Jothibai Kannan : Judgement - " An	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER 2024/117

Number of Case C/56 / Year 2024

संतोक Versus यशवन्त

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	error apparent on the face of record justifying the court to exercise it's power of review." 2. Rajendra Bajoria V/s Hemant Kumar Jalan: Judgement - "Plaint has to be rejected, if reliefs claimed can't be granted." उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- धारा 53 के तहत समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है, जिसकी पालना हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है। धारा 88 के तहत वादीगण द्वारा 1/6 हि. की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, राजस्व वाद 57/2011 में 1/6 हि. की खातेदारी घोषणा की गई है। धारा 188 के तहत permanent injunction का relief चाहा गया है, जो पूर्व विभाजन की final decree जारी होने तक दिया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त के आधार पर review application खारिज की जाती है। यदि प्रार्थीगण कोई emergency nature का relief चाहते हैं तो पूर्व में चल रहे वाद में धाराजेही करें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल-शुमार	

Order Sheet (Subsequent)

उपखण्ड कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फलौदी) जोधपुर CNR NUMBER ....

Number of Case ..... C/18/2024 ..... Year 2024 .....

संतोष ..... Versus ..... यशवन्त

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	होकर दाखिल- दफ्तर से Prinkar उपखण्ड कलक्टर फलौदी, जोधपुर.	